न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
109 / 2022	2022 / 259	02.09.2022	06.06.2022

उनवान प्रकरण

1. गुलाब चन्द पुत्र अभय लाल सैनी आयु 43 वर्ष,
2. रामावतार सैनी पुत्र अभयलाल सैनी, आयु 55 साल
3. फूली देवी पत्नी स्व0 राजेश कुमार सैनी उम्र 47 साल
4. अंकित पुत्र स्व0 राजेश कुमार सैनी उम्र 21 साल
5. संजू सैनी पुत्री स्व0 राजेश कुमार सैनी उम्र 24 साल
6. रेखा सैनी पुत्री स्व0 राजेश कुमार सैनी उम्र 23 साल
7. टीना सैनी पुत्री स्व0 राजेश कुमार सैनी उम्र 18 साल

समस्त जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3, ढाणी मउवाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

—वादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 काना उम्र 38 साल जाति माली निवासी ढाणी राड़ावाला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 प्रभू उम्र 48 साल
3. सांवरमल पुत्र स्व0 प्रभू उम्र 30 साल
4. गुल्ली देवी पुत्री स्व0 प्रभू उम्र 42 साल
5. कमली देवी पुत्री स्व0 प्रभू उम्र 38 साल
6. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 प्रभू उम्र 35 साल
7. मंजू देवी पुत्री स्व0 प्रभू उम्र 33 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी राड़ावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

8. बाबूलाल पुत्र स्व0 सुवा उम्र– 45 साल

9. मक्खनलाल पुत्र स्व0 सुवा उम्र– 60 साल

10. राजेन्द्र पुत्र स्व0 सुवा उम्र– 37 साल

11. हरफूल पुत्र स्व0 सुवा उम्र– 43 साल

12. मुन्नी देवी पुत्री स्व0 सुवा उम्र– 51 साल

समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी राड़ावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. नरेश पुत्र स्व0 नाथी देवी पुत्री सुवा उम्र– 27 साल

14. योगेश पुत्र स्व0 नाथीदेवी पुत्री सुवा उम्र– 18 साल

समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी राड़ावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

15. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री भँवर सिंह चौधरी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 15 की ओर से ।

<u>वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.2600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसके 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एंव 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता स्वर्गीय प्रभू पुत्र टीकू एंव 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की माता मृत्तका नाथी देवी पुत्री सुवा के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता स्वर्गीय प्रभू पुत्र टीकू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद करके मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एंव 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय काना पुत्र टीकूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद करके मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एंव 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 3 ता 7 के पति पिता स्वर्गीय राजेश कुमार सैनी पुत्र अभय लाल सैनी ने प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता नाना स्वर्गीय सुवा पुत्र टीकूराम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद करके मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एंव उसकी मृत्यु उपरांत वादी संख्या 3 ता 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खरीदशुदा भूमि पर वादीगण मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण उक्त विक्रय लेखों के आधार पर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड खातेदारी में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है एंव प्रतिवादीगण को वादीगण की रजिस्टर्ड विक्रय लेखों के आधार पर खरीदशुदा एंव कब्जाशुदा भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने एंव बेदखल करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी संख्या 1 व 2 एंव वादीगण संख्या 3 ता 7 के पिता स्वर्गीय राजेश कुमार सैनी ने अपनी रजिस्टर्ड विक्रय लेख पटवारी हल्का को भूमि की खातेदारी विक्रय लेखों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु दे दिये थे एंव पटवारी हल्का ने भूमि की खातेदारी दर्ज करने का आश्वासन दे दिया था तथा वादी संख्या 1 व 2 एंव वादी संख्या 3 ता 7 के पति पिता स्व0 राजेश कुमार सैनी ने विश्वास कर लिया था कि विकय लेखों के आधार पर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है परन्तु विकय लेखों के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की गई है तथा वादीगण ने दिनांक 18.08.2021 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई गई तो वादीगण को जानकारी हुई कि अभी तक विकय लेखों के आधार पर भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं हुई है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विकय लेखों के अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विकय लेखों के अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एंव वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 ने उपस्थित होकर वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं. 15 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 की ओर से वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन [illegible] व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.2600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एंव 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता स्वर्गीय प्रभू पुत्र टीकू एंव 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की माता मृत्तका नाथी देवी पुत्री सुवा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता स्वर्गीय प्रभू पुत्र टीकू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद किया जाना एंव 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय काना पुत्र टीकूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद किया जाना एंव 1/3 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 3 ता 7 के पति पिता स्वर्गीय राजेश कुमार सैनी पुत्र अभय लाल सैनी ने प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता नाना स्वर्गीय सुवा पुत्र टीकूराम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.01.91 को खरीद किया जाना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेखों के आधार पर खरीदशुदा भूमि पर वादीगण के मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आना वादपत्र में अंकित किया है। वादीगण उक्त विक्रय लेखों के आधार पर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड खातेदारी में अपने नाम दर्ज करवाये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.2600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में 1/3 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता स्वर्गीय प्रभू पुत्र टीकू का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव 1/3 हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव 1/3 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 एंव प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की माता मृत्तका नाथी देवी पुत्री सुवा का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 3 ता 7 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/06/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)